

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-204/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० राजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी, गया का दिनांक-12.05.2022 से 05.06.2025 तक की अविनियमित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक-12.05.2022 से 11.05.2025 तक	- (कुल-1096 दिन) अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या- 2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
ii	दिनांक-12.05.2025 को	- राजपत्रित अवकाश (बुद्ध पूर्णिमा)
ii	दिनांक-13.05.2025 से 05.06.2025 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-204/2026-- 2043(2) पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया/अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/डा० राजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी, गया/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव